

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/23/879

दिनांक: 08.02.2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(च)()/एसीबी/एफआईआर न. 476/जांच/डीएलबी/23/699 दिनांक 22.02.2023 द्वारा श्रीमती चन्दा मीणा को नगरपालिका कानोड़ (उदयपुर)के अध्यक्ष एवं सदस्य पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है। नगरपालिका कानोड़ (उदयपुर) का अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती गुडडी बाई मीणा, सदस्य वार्ड 06 को नगरपालिका कानोड़ (उदयपुर) के अध्यक्ष पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया जाता है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार आला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 08.02.2024

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/23/880-889
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, /जिला कलक्टर उदयपुर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. उपप्रखण्ड अधिकारी, कानोड़।
9. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी